सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 31 आषाढ़, 1947 (श०) / 22 जुलाई, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	02
(2)	परिवहन विभाग	..	..	01
			कुल योग --	03

पुस्तक उपलब्ध कराना

1. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 मई, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''26 लाख स्कूली बच्चों के हाथों में अब भी किताब नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से राशि के बदले किताब देने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2 मई, 2025 तक कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को किताब हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश के बावजूद भी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने से लगभग 26 लाख बच्चों को अभीतक किताब उपलब्ध नहीं होने से वे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खास रणनीति बनाकर सरकारी स्कूल के बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शत-प्रतिशत पुस्तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संस्कृत शिक्षकों की बहाली

2. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दारौंदा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में लगभग 28574 मिडिल स्कूलों में संस्कृत विषय की पढ़ाई अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में कक्षा 6 (छः) से संस्कृत की पढ़ाई आरंभ होने से विद्यार्थियों में संस्कृत विषय का बेस मजबूत नहीं हो पाता है, साथ ही सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ नहीं करने से संस्कृत शिक्षकों का अभाव है, जिससे संस्कृत विषय की कक्षाएँ सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संस्कृत विषय की प्रारंभिक पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से ही प्रारंभ करने के साथ संस्कृत विषय के पर्याप्त शिक्षकों की बहाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रजिस्ट्रेशन का ससमय नहीं किया जाना

3. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 मई, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य में 1.23 लाख व पटना में 13 हजार से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लम्बित'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों मुजफ्फरपुर में 87 सौ, प० चम्पारण में 67 सौ, मोतिहारी में 65 सौ, छपरा में 58 सौ, पटना में 13 हजार सहित अन्य जिलों के लगभग 1.23 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गाड़ियों को खरीदते समय वाहन मालिकों को कई तरह के दस्तावेज दिये गये हैं एवं गाड़ी मालिकों से लिये गये टैक्स सहित अन्य जानकारियों को वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करने का प्रावधान है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा राज्य में 1.23 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ससमय नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 22 जुलाई, 2025 (ई०) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०, 16(एल०ए०), 2025-26-डी०टी०पी०-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025